

- 05 -

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या - 37/2022

बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रांच बनाम श्रीमती डोली सिंह

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

27.12.2022

यह वाद आवेदक प्राधिकृत पदाधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रोसार ब्रांच प्रथम तल्ला, अरिहन्त मार्केट, तुलसी चौक, डोरण्डा, राँची द्वारा अन्दर U/S - 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 के तहत आवेदन दायर किया गया। वाद को अंगीकृत करने के उपरांत द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की।

आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा भी कई तिथियों से पैरवी नहीं दिया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद का निस्तार हेतु अभिरुचि नहीं है। अतः दायर वाद के प्रति आवेदक का उदासीनता को देखते हुए इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीनिधा  
27.12.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

शाधवीनिधा  
27.12.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।